भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No. 2005/H-1/12/34/ **New Delhi, dated 30.05.2012**

The General Managers,
All Indian Railways and Production Units,
DG/RSC/Vadodra,DG/RDSO, Lucknow,
CAO/DMW/Patiala

Subject:Extension to the scheme of "Honorary Visiting Specialists" in all the Railway Hospitals all over Indian Railways.

Reference: Railway Board's letter no.2001/H-1/12/40 dated 15.12.2005, letter of even no. dated 27.06.2006, 29.06.2009 and 01.06.2011.

In continuation to the above mentioned letters to introduce the scheme of "Honorary Visiting Specialists," sanction of the Ministry of Railways is hereby accorded for further extension of the scheme from 01.07.2012 to 30.06.2013 in all the Railway Hospitals over all Indian Railways .

The term of Honorary Visiting Specialists who have been engaged or accorded sanction for extension up to 30.06.2012, may now be extended for a period of one year w.e.f. the date they have taken charge of their posts.

All other terms and conditions will remain the same as given in the office letters no. 2001/H-1/12/40 dated 15.12.2005 and 2005/H-1/12/34 dated 27.06.2006.

This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(Dr.D.P.Pande)
Executive Director, Health (Plg.)
Railway Board.
New Delhi, dated30.05.2012

No. 2005/H-1/12/34/
Copy forwarded to:

1. The FA&CAO, All Indian Railways/PUs.
2. The Chief Medical Directors, All Indian Railways/PUs.
3. The Chief Personnel Officers, All Indian Railways/PUs.

(Dr. D.P.Pande)
Executive Director, Health (Plg.)
Railway Board.
New Delhi, dated30.05.2012

No. 2005/H-1/12/34
Copy forwarded to:

1. The Principal Directors of Audit, All Indian Railways/PUs.
2. Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi.

For Financial Commissioner, Railways

Copy for information to: EDF(E),JDF(E) & F(E) Spl. (with 5 spares)
General Secretary, AIRF, New Delhi (35 copies)
General Secretary, NFIR, New Delhi (35 copies)

For Secretary, Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2005/एच-1/12/34 नई दिल्ली, दिनांक: 30.05.2012

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां,
महानिदेशक, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा,
महानिदेशक, अ.अ.मा.सं., लखनऊ,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डीएमडब्ल्यू, पटियाला.

विषय: सभी भारतीय रेलों पर सभी रेलवे अस्पतालों में 'ऑनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्ट' योजना की समयावधि बढ़ाना।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 15.12.2005 का पत्र सं.2001/एच-1/12/40 तथा 27.06.2006, 29.06.2009 एवं 01.06.2011 के समसंख्यक पत्र।

'ऑनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्ट' योजना लागू करने के संबंध में ऊपर उल्लिखित पत्रों के क्रम में सभी भारतीय रेलों के सभी रेलवे अस्पतालों में इस योजना की समयावधि को 01.07.2012 से बढ़ाकर 30.06.2013 तक करने के संबंध में एतद्द्वारा रेल मंत्रालय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ऐसे 'ऑनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्ट' जिन्हें नियुक्त किया गया है अथवा जिनकी समयावधि 30.06.2012 तक बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की गई है, के कार्यकाल को पद का कार्यभार संभालने की तारीख से अब एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाए।

दिनांक 15.12.2005 के कार्यालय आदेश सं. 2001/एच-1/12/40 और दिनांक 27.06.2006 के कार्यालय आदेश सं.2005/एच-1/12/34 में दी गई अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(डॉ. डी.पी. पाण्डे)
कार्यपालक निदेशक, स्वास्थ्य (योजना)
रेलवे बोर्ड.

सं. 2005/एच-1/12/34 **नई दिल्ली, दिनांक:** 30.05.2012

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां.
2. मुख्य चिकित्सा निदेशक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां.
3. मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां.

(डॉ. डी.पी. पाण्डे)
कार्यपालक निदेशक, स्वास्थ्य (योजना)
रेलवे बोर्ड.

सं. 2005/एच-1/12/34 **नई दिल्ली, दिनांक:** 30.05.2012

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां.
2. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली.

कृते वित्त आयुक्त/रेलवे

प्रतिलिपि प्रेषित:
कार्य. निदेशक, वित्त (स्था.), संनि. वित्त (स्था.) और वित्त (स्था.) विशेष (पांच प्रतियों सहित)
महासचिव, एआईआरएफ, नई दिल्ली (35 प्रतियां)
महासचिव, एनएफआईआर, नई दिल्ली (35 प्रतियां)

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड